12.00 hrs.

Title: Regarding further relief to drought-affected states.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले यह घोाणा की थी कि खरीफ फसल ऋण तथा कृि मियादी ऋणों दोनों पर चालू वा वा के ब्याज को आस्थगित किया जाएगा और मूल ऋणों को मियादी ऋणों में फिर से निर्धारित किया जाएगा; छोटे और सीमांत किसानों के मामले में यह ऋण अगले पांच वाों की अवधि में वसूल किया जाएगा जबकि अन्य किसानों के मामले में ऋणवसूली की अवधि 3 वा होगी। इसके अलावा, इन दोनों तरह के ऋणों पर एक वा के लिए आस्थगित किए गए ब्याज जिसकी राशि 6040 करोड़ रुपये बनती है, की वसूली देयता के रूप में अगले कई वाों तक की जाती रहेगी।

2. इन राज्यों में हमारे किसान भाइयों की मुश्किलों को और कम करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ ऋणों पर ब्याज की पहले वा की आस्थगित देयता को, एक बारगी उपाय के रूप में, पूर्णतया छोड़ दिया जाए। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले हमारे ऐसे नागरिक ऋण देने वाले अपने बैंक से सीधे ही यह छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस संबंध में समुचित दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. जहां तक कृि निवेश सब्सिडी का संबंध है, मेरी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को 1490 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अनुदान के रूप में देने की पहले ही घोाणा कर दी थी। तथापि, सूखे की प्रचंडता को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि इस कृि निवेश सब्सिडी को अब आगे बढ़ाया जाए ताकि एक बारगी उपाय के रूप में और विद्यमान दिशा-निर्देशों में छूट देते हुए 2 हेक्टेयर तक की अधिकतम सीमा तक, बोए और बिना बोए दोनों क्षेत्रों के लिए, अन्य सभी किसानों को भी इसमें शामिल किया जा सके। कृि मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से किए जाने वाले मूल्यांकन के आधार पर सभी 14 प्रभावित राज्यों को वास्तविक भूमि जोत और खेती पैटर्न के आधार पर अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसलिए, इन राज्यों को अब सूखे से निपटने के लिए 555 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी जिसे या तो आपदा राहत कोा अथवा राट्रीय आपदा आकस्मिक कोा से वहन किया जाएगा।

4. पशुधन के लिए पशुपालन विभाग को अब 25 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी ताकि ऐसी गौशालाओं' को सहायता प्रदान की जा सके जिनमें एक हजार से अधिक पशु हों। ऐसी गौशालाएं' चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। पशुपालन विभाग, वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की एक समिति को इस तरह से धनराशि अवमुक्त करने का अधिकार होगा जिस तरह प्रधानमंत्री राट्रीय राहत कोा के साथ-साथ और अलग-अलग मामले में धनराशि अवमुक्त की जाती है।

5. मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने राजस्थान सरकार को पशुओं के लिए अतिरिक्त सहायता पहले ही अनुमोदित कर दी है जिसमें 70 करोड़ रुपये पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं। मैंने राज्य सरकारों को पशुओं के लिए चारे की निःशुल्क ढुलाई की भी मंजूरी दे दी है। पानी और चारे की निःशुल्क ढुलाई की ऐसी व्यवस्था जून, 2003 के अंत तक जारी रहेगी।

6. खाद्यानों के संबंध में, सरकार ने सूखे से प्रभावित 14 राज्यों को 4000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 38.75 लाख मिट्रिक टन चावल और गेहूं के निःशुल्क आबंटन की पहले ही स्वीकृति दे दी है जिसमें से 19.50 लाख मिट्रिक टन खाद्यान वर्तमान सूखा से राहत पहुंचाने के लिए है। यह खाद्यान केवल तीन महीने, अर्थात जनवरी, 2003 तक के लिए है। तत्पश्चात् अधिक खाद्यान्न जरूरतमंद राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। तथापि, यह वांछनीय है कि राहत रोजगार के सृजन हेतु इस खाद्यान के वास्तविक इस्तेमाल की सुव्यवस्थित ढंग से निगरानी की जाए। निःसन्देह, राज्य सरकारें आबंटित खाद्यानों के इस्तेमाल के बाद अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर सकती हैं। इसी संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य-पद्धति में सुधार लाया जाना चाहिए।

7. मैं इस बात को मानता हूं कि देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की अत्यधिक कमी है। इसलिए मैंने रेल मंत्रालय को अतिरिक्त जल टैंकर ट्रेनें चलाने का निर्देश दिया है ताकि इस जल संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। जल संसाधान मंत्रालय प्रभावित राज्यों को सहायता पहुंचाने के लिए इस संबंध में एक कार्यदल का शीघ्र गठन करेगा। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को भी निर्देश दे रहा हूं कि वह गहरे नलकूपों के लिए गहरे ड्रिलिंग रिगों का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाए।

8. हम इस सूखे की चुनौती का एकजुट होकर सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नागरिकों की मुश्किलें कम हों।

(Placed in Library, See No. Lt. 6732/2002)